

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2139/2014/जयपुर.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड-तृतीय नोहर, वृत्त-ए, हनुमानगढ़.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स हिन्दुस्तान ट्रेडर्स, 33/36, वेदपुरी अमागढ़,
पार्वती कॉलोनी, ट्रांसपोर्ट नगर, जयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,

उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एस. एम. पेड़ीवाल, अभिभाषक


.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 05/11/2015

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा अपीलीय प्राधिकारी-प्रथम, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा गया है) के अपील संख्या 64/अपील्स-1/आरवीएटी/एल/जयपुर/2013-14 में पारित किये गये आदेश दिनांक 05.05.2014 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा गया है) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-तृतीय नोहर, वृत्त-ए, हनुमानगढ़ (जिसे आगे 'सक्षम अधिकारी' कहा जायेगा) के वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 08.03.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।


2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 03.03.2013 को वाहन संख्या एच.आर. 58/बी-2700 को नोहर भादरा रोड़ पर भादरा मोड़ के पास चैक किये जाने पर वाहन में 'लोहा सरिया' मुज्जफरनगर (यूपी.) से सूरतगढ़ व केसरीसिंहपुरा के लिये परिवहनित किया जा रहा था। माल प्रभारी/वाहन चालक द्वारा इस वाहन में परिवहनित माल से सम्बन्धित मैसर्स हिन्दुस्तान ट्रेडर्स का बिल संख्या 573 व 574 दिनांक 02.03.2013 (प्रेषिति मैसर्स साधुराम मदनलाल, केसरीसिंहपुरा व मैसर्स मित्तल सेल्स कॉर्पोरेशन, सूरतगढ़), जिसमें 5 प्रतिशत वैट चार्ज किया हुआ था; चौधरी ट्रांसपोर्ट कम्पनी, जयपुर की बिल्टी संख्या 810 व 812 दिनांक 02.03.2013 (जयपुर से सूरतगढ़ व केसरीसिंहपुरा), इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पानीपत से डीजल भरवाने की रसीद संख्या 373 दिनांक 02.03.2013 एवं भट्टू लुडेसर-जमाल रोड़, जमाल के टोल टैक्स की पर्ची संख्या 19 दिनांक 03.03.2013 प्रस्तुत की। अपने बयानों में वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा कथन किया गया कि वह उक्त माल



लगातार.....2

मुज्जफरनगर (यू.पी.) से भरकर लाया है तथा उक्त दस्तावेज उसे चैकिंग स्थल से दो किमी. पहले ही एक व्यक्ति देकर गया है, जिसे वह नहीं जानता है। इस पर सक्षम अधिकारी ने वाहन चालक को माल एवं माल मालिक के सत्यापन हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से दिनांक 4.3.2014 को श्री रविन्द्र पारीक अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित होते हुए मैसर्स सतगुरु मैटलॉयज, मुज्जफरनगर का इन्वॉयस संख्या 1241 दिनांक 01.03.2013 (प्रेषिति मैसर्स हिन्दुस्तान ट्रेडर्स, जयपुर), घोषणा-पत्र वैट-47 संख्या 2465757 एवं धर्मकांटा पर्ची संख्या 52 दिनांक 01.03.2013 की छायाप्रतियां प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि परिवहनित माल उनके द्वारा आयात किया गया था तथा सीधे ही क्रेता व्यवहारियों को बिक्रीत किया गया था। भूलवश बिलों में वैट चार्ज कर लिया गया। सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त कथन से असहमत होते हुए, वैट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत आदेश दिनांक 08.03.2013 पारित करते हुए शास्ति रूपये 3,25,171/- का आरोपण किया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा सक्षम अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.05.2014 से स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर यह अपील राजस्व द्वारा प्रस्तुत की गई है।


3. विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने सशक्त अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि माल मुज्जफरनगर (यू.पी.) से आयात किया जाना बताया गया, किन्तु माल के राजस्थान की सीमा में प्रवेश से पूर्व ही केसरीसिंपुरा व सूरतगढ़ के दस्तावेज बनाया जाना स्पष्ट रूप से प्रत्यर्थी की करापवंचन की मंशा को प्रमाणित करता है। अतः किसी अन्य माल के दस्तावेजों से या अन्य प्रकृति के दस्तावेजों से वर्तमान माल का परिवहन किया जा रहा था। श्री रविन्द्र पारीक, अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज भी प्रत्यर्थी की करापवंचन की मंशा को प्रमाणित करते हैं। श्री रविन्द्र पारीक ने दिनांक 04.03.2013 को प्रातः दस्तावेजों की छायाप्रतियां पेश की, तत्पश्चात शाम को 7:30 बजे मूल प्रतियां पेश की, जिसमें घोषणा-पत्र वैट-47 में ट्रांसपोर्टर से सम्बन्धित कॉलम खाली पाये गये। समुचित अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद मुज्जफरनगर से जयपुर के लिये आयातित माल की बिल्टी प्रस्तुत नहीं की गई तथा आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया गया। साथ ही राज्य के बाहर से आयातित माल का परिवहन के दौरान ही राज्य के भीतर विक्रय किये जाने सम्बन्धी बिलों में वैट चार्ज किया जाना भी व्यवहारी की करापवंचन की मंशा को प्रमाणित करता है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।



4. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि सक्षम अधिकारी को वक्त जांच माल से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये गये थे। माल का आयात मुज्जफरनगर से किया गया था, जिससे सम्बन्धित बिल व घोषणा पत्र भी प्रस्तुत कर दिया गया था। वक्त जांच प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों में सक्षम अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि होना इंगित नहीं किया गया है। केवल सम्भावनाओं के आधार पर शास्ति का आरोपण किया गया है। अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों का समुचित विश्लेषण करते हुए शास्ति अपास्त की गयी है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. पत्रावली में उपलब्ध रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वक्त जांच वाहन चालक द्वारा माल का परिवहन मुज्जफरनगर से केसरीसिंहपुरा व सूरतगढ़ के लिये किया जाना बताया तथा दस्तावेज जयपुर से सूरतगढ़ व केसरीसिंहपुरा के प्रस्तुत किये गये। कारण बताओ नोटिस की नोटिस की पालना में मुज्जफरनगर से जयपुर का बिल संख्या 1241 दिनांक 01.03.2013 प्रस्तुत किया। पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों एवं वाहन चालक के बयानों में परस्पर विरोधाभास है। वाहन चालक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा पानीपत (हरियाणा) से डीजल भरवाने की पर्ची दिनांक 02.03.2013 की है, भट्टू लुढेसर जमाल रोड़, जमाल के टोल टैक्स की पर्ची दिनांक 3.3.2013 की बनी हुई है। इस प्रकार वाहन दिनांक 03.03.2013 को राजस्थान की सीमा में प्रवेश हुआ है, जबकि वाहन के साथ उपलब्ध बिल बिल्टी दिनांक 02.03.2013 को बनाये गये हैं। इससे स्पष्ट प्रमाणित है कि वाहन में लदे माल का वक्त जांच प्रस्तुत दस्तावेजों से कोई सम्बन्ध नहीं है। श्री रविन्द्र पारीक, अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज भी संदेह उत्पन्न करते हैं, प्रस्तुत घोषणा-पत्र वैट-47 में ट्रांसपोर्टर से सम्बन्धित कॉलम रिक्त छोड़ा गया है, समुचित अवसर दिये जाने के बावजूद मुज्जफरनगर से जयपुर की बिल्टी प्रस्तुत नहीं की गयी है। केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 6(2) के तहत बिल्टी बेचान के जरिये माल का विक्रय किये जाने की स्थिति में दस्तावेजों पर इस बात का अंकन किया जाना अथवा विक्रेता व्यवहारी द्वारा प्रमाण-पत्र जारी किया जाना बाध्यकारी है, जिसका प्रस्तुत प्रकरण में अभाव पाया गया है। इसी प्रकार धारा 6(2) के तहत विक्रय किये जाने की स्थिति में राज्य के भीतर किये गये विक्रय पर 5 प्रतिशत की दर से वैट चार्ज किया जाना भी त्रुटिपूर्ण है।



7. केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 6(2) निम्न प्रकार है :-

6. Liability to tax on inter-State sales -

(1)

(2) **Notwithstanding anything contained in sub-section (1) or sub-section (1A), where a sale of any goods in the course of inter-State trade or commerce has either occasioned the movement of such goods from one State to another or has been effected by a transfer of documents of title to such goods during their movement from one State to another, any subsequent sale during such movement effected by a transfer of documents of title to such goods,-**

(a) to the Government, or

(b) to a registered dealer other than the Government, if the goods are of the description referred to in sub-section (3) of section 8, shall be exempt from tax under this Act :

PROVIDED that no such subsequent sale shall be exempt from tax under this sub-section unless the dealer effecting the sale furnishes to the prescribed authority in the prescribed manner and within the prescribed time or within such further time as that authority may, for sufficient cause, permit, -

(a) a certificate duly filled and signed by the registered dealer from whom the goods were purchased containing the prescribed particulars in a prescribed form obtained from the prescribed authority; and

(b) if the subsequent sale is made—


(i) to a registered dealer, a declaration referred to in clause (a) of sub-section (4) of section 8, or

(ii) to the Government, not being a registered dealer, a certificate referred to in clause (b) of sub-section (4) of Section 8:

PROVIDED FURTHER that it shall not be necessary to furnish the declaration or the certificate referred to in clause (b) of the preceding proviso in respect of a subsequent sale of goods if, -

(a) the sale or purchase of such goods is, under the sales tax law of the appropriate State, exempt from tax generally or is subject to tax generally at a rate which is lower than four per cent (whether called a tax or fee or by any other name); and

(b) the dealer effecting such subsequent sale proves to the satisfaction of the authority referred to in the preceding proviso that such sale is of the nature referred to in clause (a) or clause (b) of this sub-section.



8. उक्त समस्त तथ्यों से यह प्रमाणित है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा मिथ्या दस्तावेजों से माल का परिवहन किया जा रहा था, जिसके फलस्वरूप सक्षम अधिकारी द्वारा शास्ति का आरोपण किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है।


9. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2015) 78 वी. एस.टी. 445 मोहन आयरन डिपो बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड-प्रथम, पाली में हस्तगत प्रकरण के सदृश प्रकरण में निम्न निर्णय पारित किया गया है :-

"On perusal of the above it provides that if the goods in movement other than exempted goods are without documents or are not supported by documents as referred to in sub-section (2) or documents produced appears false or forged then in that eventuality the assessing officer is empowered to impose penalty under section 78(5).

On perusal of facts, noted earlier, in my view on the basis of evidence on record, the penalty has been rightly sustained by the Rajasthan Tax Board, inasmuch as when the goods did not reach even Bharatpur by the late evening of August 18,1997 or early morning of August 19,1997 then no occasion arose for the assessee to have issued bill on August 18,1997 at Bharatpur. Even prima facie this fact is sufficient to hold that the documents were not correct or full proof, the fact remains that the driver as per his version had been got delivered the bills at the (toll tax) by someone from the assessee's side and even the driver was not aware as to who handed over the bills/bilty relating to Balotra party.

Though it is true as contended by the counsel for the petitioner that penalty under section 78(5) or for that matter any penalty cannot be imposed on mere conjunctures or surmises or assumption and presumption but the present case appears to be not one by which the penalty was imposed by the assessing officer on conjunctures or surmises or assumption and presumption and sustained by the Tax Board.

On perusal of the facts, noticed earlier it has also come on record admittedly that the bill clearly states the goods to be sales tax paid (STP) whereas at the time when the goods were dispatched, it was not tax paid and even the bill does not clarify that the value was inclusive of sales tax. In my view these vital discrepancies noticed by the Tax Board and the assessing officer that the bills were not proper, is sufficient to hold that there was violation of section 78(5)



of the Act so as to impose penalty under section 78(5) of the RST Act. During the course of arguments the court inquired from the counsel for the petitioner to provide copy of the said T.P. receipt for perusal but he was unable to produce the same.

In my view, the judgments relied upon by the counsel for the petitioner, certainly lay down that penalty under section 78(5) cannot be imposed on conjunctures or surmises but the facts which have come on record and noticed earlier I come to the conclusion that the penalty has been imposed on account of vital discrepancies noticed by the assessing officer on investigation not only from the driver of the vehicle but also from the owner who appeared in person before the assessing officer as well as the documents produced in my view, the order of the Tax Board is well reasoned and the penalty was rightly upheld by the Tax Board."

10. हस्तगत प्रकरण के तथ्य माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त संदर्भित निर्णय के तथ्यों से पूर्णतया मेल खाते हैं। प्रकरण के समस्त तथ्यों में प्रत्येक स्तर की अनिवार्य प्रकृति की असंगतता है। माल प्रेषण स्थान मुज्जफरनगर से माल का राजस्थान में प्रथम गन्तव्य प्रेषिति स्थल जयपुर की बिल्टी कभी प्रस्तुत ही नहीं की गई, जो करापवंचन की सुनियोजित Modus operandi का प्रमाण है। माल आयातक फर्म द्वारा कूटरचित दस्तावेजों से माल आयात किया गया है। यह प्रकरण घोषणा पत्र वैट-47 की प्रस्तुति का नहीं है, वरन् समग्र रूप से बिना विधिमान्य दस्तावेजों के आयात का प्रकरण है, जिसमें व्यवहारी अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असफल रहा है।

11. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के आलोक में प्रकरण की उपरोक्त तथ्यों परिस्थितियों एवं विधिक परिप्रेक्ष्य में यह निष्कर्षित किया जाता है कि सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गयी है, जबकि अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के तथ्यों का समुचित विश्लेषण किये बिना प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है।

12. परिणामस्वरूप राजस्व की अपील स्वीकार की जाती है। अपीलीय अधिकारी का आदेश दिनांक 05.05.2014 अपास्त किया जाकर, सक्षम अधिकारी का आदेश दिनांक 08.03.2013 एतद्द्वारा यथावत बहाल (Restore) किया जाता है।

13. निर्णय सुनाया गया।


05-11-2015

(मनोहर पुरी)
सदस्य